कार्यालय निर्वाचन अधिकारी
चुनाव , गुरुद्वारा प्रबंधक समिति नानकमता
गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब
जिला ऊधम सिंह नगर

अधिसूचना

No- 01 / Elections /GSNMS/2016 Dated: 27TH SEPTEMBER ,2016

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन (M/S) सं0– 7064/ 2001 , हरदेव सिंह बनाम भारत गणराज्य व अन्य के रिट पिटीशन में दिनांक 08.09.2016 को दिये गये निर्णय के प्रकाश में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चयन हेतु चुनाव आयोजित किया जा रहा है।

मा0 न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये है कि चुनाव छ; माह के भीतर संपन्न कराया जाये ।

मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार गुरुद्वारा प्रबंध समिति नानकमता के चुनाव के लिये अधिसूचना जारी की जा रही है व चुनाव प्रकिया संचालन कराने हेतु निम्नलिखित अनुसूची का पालन यथासंभव किया जायेगा ।

1. वार्ड / हलकों की घोषणा / अधिसूचना — **28.09.2016**
2. अधिसूचित हलकों के अर्न्तगत स्थित सभी गुरुद्वारा साहिब को गुरुद्वारा नानकमता साहिब से संबद्वता/ पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए नोटिस जारी किये जायेंगे। केवल वही गुरुद्वारा साहिब पंजीकरण के लिये आवेदन कर सकेगा जो **अनुलग्नक – अ** में उल्लिख्ति शर्तो को पूरा करेगा। पूर्व में पजीकृत गुरुद्वारा साहिब को भी पंजीकरण हेतु नये सिरे से पुनः आवेदन करना होगा चकि पूर्व में पजीकृत गुरुद्वारों का पूर्ण व सही रिकार्ड गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब कार्यालय में उपलब्ध नही है। इस अधिसूचना का **अनुलग्नक– ब** पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र है। — **26.10.2016 तक**
3. **अंतिम तिथि** – उचित व पूर्ण रुप से भरा हुआ पंजीकरण आवेदन पत्र 10 रुपये के पोस्टल आर्डर जो गुरुद्वारा प्रबंध समिति नानकमता के पक्ष में देय हो के साथ चुनाव अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 26.10.2016 तक पहुंचना आवश्यक है। **— 26.10.2016**

4. संबद्धता/ पंजीकरण के लिये **आवेदन करने वाले सभी गुरुद्वारो की सूची का प्रकाशन** – **02.11.2016**

5. **आपत्तियों हेतु आमंत्रण–** संबद्धता/ पंजीकरण के विरुद्व आपत्तियों के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि– **09.11.2016 तक**

6. आपत्तियों का निस्तारण ,यदि कोई हो, तथा संबद्धता/ पंजीकरण के आदेश का प्रकाशन–11.11.2016

7. प्रत्येक वार्ड/ हलकों के पंजीकृत गुरुद्वारों की अंतिम सूची का प्रकाशन–**11.11.2016**

8. गुरुद्वारा नानकमता साहिब से संबद्व प्रत्येक गुरुद्वारा से एक डेलीगेट / प्रतिनिधि का चुनाव –15.11.2016 से 29.11.2016 तक

9. गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य हेतु योग्यता अधिसूचना के **अनुलग्नक –स** में निहित योग्यता होगी ।

10. एक मतदाता / निर्वाचक हेतु योग्यता इस अधिसूचना के **अनुलग्नक –द** में निहित है।

11. एक विशेष गुरुद्वारा से प्रतिनिधि/ डेलीगेट उसी तहसील का होना चाहिये जिस तहसील के अर्न्तगत वह गुरुद्वारा स्थित है।

12. प्रत्येक गुरुद्वारे से डेलीगेट/ प्रतिनिधि की सूची संपूर्ण विवरण ; ;(नाम पता ,मोबाईल नं0 ,ईमेल –आईडी , शैक्षणिक–योग्यता , 2 फोटो ,पहचान पत्र , पैन कार्ड व आपराधिक रिकार्ड यदि कोई हो) के साथ दिनांक 5.12.2016 तक चुनाव अधिकारी के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिये। प्रत्येक डेलीगेट/ प्रतिनिधि द्वारा दी गई जानकारी की समीक्षा चुनाव अधिकारी द्वारा की जायेगी व अतिरिक्त जानकारी की आवश्यक्ता होने पर जरुरी सूचना जारी की जायेगी । संपूर्ण विवरण चुनाव अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 5.12.2016 तक पहुंचनी आवश्यकीय है।

13. मेंबरों का चुनाव गुरुद्वारा नानकमता साहिब में समूहवार आयेजित किया जायेगा , सभी हलकों / वार्डों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया जायेगा व प्रत्येक वार्ड / हलके के प्रतिनिधि / मेंबर के चुनाव के लिये विशेष तिथि नियत की जायेगी । उपरोक्त चुनाव; (सदस्य/ मेंबर) 10.12.2016 से आरंभ होगा ।

14. गुरुद्वारा प्रबंधक समिति नानकमता साहिब के निर्वाचित सदस्यों के परिणाम की घोषणा –सदस्यों के चुनाव के समापन के अगले दिने प्रबंधक समिति के सदस्यों के लिये चुनाव

15. निर्वाचित समिति व पदाधिकारियों के चुनाव की पहली बैठक – अगले दिन परिणाम की घोषणा के बाद

16. पदाधिकारियों की पहली बैठक , उपसमितियों के गठन की तिथि बाद में अधिसूचित की जायेगी ।

17. चुनाव के लिये आचार संहिता इस अधिसूचना के **अनुलग्नक –य** में है।

Sd/-

कंवर अमनिन्दर सिंह,
चुनाव अधिकारी ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही को प्रेषित

1–मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन देहरादून।

2– पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड देहरादून ।

3– आयुक्त कुमाऊं मंडल नैनीताल

4–उपमहानिरीक्षक पुलिस कुमाउं मंडल नैनीताल

5–जिला न्यायाधीश ऊधम सिंह नगर ।

6–जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर ।

7–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर ।

8–जिलाधिकारी , नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत , बिजनौर , शहजहांपुर , लखीमपुर खीरी

9–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत बिजनौर , शाहजहांपुर , लखीमपुर खीरी

10– जनपद ऊधम सिंह नगर , नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत , बिजनौर , शाहजहांपुर , लखीमपुर खीरी में स्थित श्री सिंह सभा गुरुद्वारे व अन्य प्रमुख गुरुद्वारे।

गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब के साथ पंजीकरण / संबद्वता के आशय के साथ चुनाव अधिसूचना का सभी सिंह सभाओं में परिचालन । गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब के साथ पंजीकरण / संबद्वता के इच्छुक सभी गुरुद्वारे **अनुलग्नक –ब** के अनुसार आवेदन कर सकते है।

11 –जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को इस अनुरोध के साथ कि वह चुनाव अधिसूचना को व्यापक प्रचलन हेतु जनपद ऊधम सिंह नगर , नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत , बिजनौर , शाहजहांपुर , लखीमपुर खीरी के समाचार पत्रों में खबर के रुप में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

12–समाचार पत्र – दैनिक जागरण , अमर उजाला , उत्तर उजाला , (हिन्दुस्तान) हिन्दी, पंजाब केसरी के जनपद उधम सिंह नगर , नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत , बिजनौर , शाहजहांपुर , लखीमपुर खीरी में प्रचलित संस्करणों में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना का कम से कम दो दिन तक विज्ञापन व समाचार के रुप में प्रकाशन।

13– समाचार पत्र – अजीत पंजाबी के जनपद उधम सिंह नगर , नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत , बिजनौर , शाहजहांपुर , लखीमपुर खीरी में प्रचलित संस्करणों में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना का कम से कम दो दिन तक विज्ञापन व समाचार के रुप में प्रकाशन।

14–गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब के नोटिस बोर्ड व नानकमता के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना का प्रकाशन

15–नानकमता व सितारगंज के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना का प्रकाशन

16– जनपद उधम सिंह नगर , नैनीताल , बरेली , रामपुर , पीलीभीत , बिजनौर , शाहजहांपुर , लखीमपुर खीरी के सभी जिला मुख्यालयों व तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना का प्रकाशन

17– दिनांक 30.09.2016 को अमावस पर्व पर लगने वाले धार्मिक दीवान के दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब के चुनाव के लिए जारी चुनाव अधिसूचना की उदधोषणा ।

चुनाव अधिकारी ।

अनुलग्नक –अ

गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब के साथ पंजीकरण / संबद्वता के लिये गुरुद्वारे द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्ते

1. वहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश व सस्वर पाठ सिख रहत मर्यादा के अनुसार होना चाहिये।
2. वहा सिख धर्म के ध्वज के साथ एक निशान साहिब होना चाहिये ।
3. संगत के लिये गुरु का लंगर उपलब्ध होना चाहिये ।
4. गुरुद्वारा सार्वजनिक रुप से संगत के लिये खुला हो व एक धर्म / जाति समूह तक ही सीमित न हो व सिख संगत के लिये पाठ/अरदास/ धमर्माथ कार्यो के लिये उपलब्ध हो।
5. गुरुद्वारे में शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रचलित सिख रहत मर्यादा के अनुसार पाठ व कीर्तन होना चाहिये।
6. गुरुद्वारा साहिब में सिख धर्म रहित मर्यादा के विपरीत कोई कार्य / गतिविधि संचालित नही होनी चाहिये।
7. गुरुद्वारा में कोई गुरु चेला परंपरा नही होनी चाहिये।
8. वहां के मुखिया को गददी की परंपरा नही होनी चाहिये।
9. गुरुद्वारा एक ट्रस्ट या एक परिवार द्वारा नही चलाया जाना चाहिये।
10. गुरुद्वारे के प्रबंधन के लिए कोई प्रबंधन समिति (पंजीकृत है या अपंजीकृत) होनी चाहिये जो कि गुरुद्वारे के विकास व बेहतरी के लिये कार्य करे।
11. गुरुद्वारा परिसर में गुरु की गोलक के अलावा किसी व्यक्ति / समूह / संसथा से संबंधित कोई अन्य गोलक नही होनी चाहिय।
12. गुरुद्वारा विगत 5 वर्षो अर्थात 31.12.2011 से पूर्व से सिख रहत मर्यादा के अनुसार संचालित हो रहा हो ।

अनुलग्नक – ब

गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब के साथ पंजीकरण / संबद्वता के लिये आवेदन पत्र

1. गुरुद्वारा का नाम

2. पता (कालोनी / गांव / डाकघर / तहसील / जिला)

3.एसटीडी कोड या स्थाई व वैध मोबाईल नंबर के साथ फोन नंबर

4.ईमेल पता यदि कोई हो

5.स्थापना की तिथि

6.गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम प्रकाश की तिथि

7.श्री गुरुग्रंथ साहिब का प्रकाश वहां दैनिक रुप में है या नही तथा सिख रहत मर्यादाओं के अनुसार वहां श्री गुरु गंथ साहिब का पाठ होता है। (हां / नही)

8.गुरुद्वारा के रुप में सिख धर्म के घ्वज के साथ एक निशान साहिब है या नही।(हां / नही)

9.क्या गुरु का लंगर संगत के लिये उपलब्ध है। (हां / नही) , यदि हां , तो समय

10.क्या गुरुद्वारा सार्वजनिक पूजा के लिये खुला है व सिख संगत के लिये पाठ/अरदास/ धमर्माथ कार्यो के लिये उपलब्ध है। (हां / नही)

11.क्या पाठ व कीर्तन सिख रहत मर्यादा के अनुसार किया जाता है। (हां / नही)

12. क्या गुरुद्वारा में कोई गुरु चेला परंपरा है। (हां / नही)

13. क्या गुरुद्वारा एक ट्रस्ट या एक परिवार द्वारा चलाया जाता है। (हां / नही)

14. क्या गुरुद्वारा में गददी की परंपरा है। (हां / नही)

15. क्या गुरुद्वारा किसी कार सेवा समूह द्वारा चलाया जाता है। (हां / नही)

16. क्या गुरुद्वारें में गुरु की गोलक के अलावा कोई अन्य गोलक भी रखी गई है। (हां/ नही)

17. क्या गुरुद्वारे के प्रबंधन के लिए कोई प्रबंधन समिति है। (हां / नही) यदि प्रबंधन समिति है तो पंजीकृत है या अपंजीकृत ।

18. सदस्यों व प्रबंध समिति के पदाधिकारियो का संपूर्ण विवरण नाम , पिता का नाम , आयु ,स्थाई पता , माबाईल नं0 व व्यवसाय सहित एक अलग कागज पर दिया जाना चाहिये ।

19. पोस्टल आर्डर की तिथि व संख्या/ नंबर–

मैं घोषणा करता हू कि उक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य व सही है। मेरे द्वारा सिख रहित मर्यादा के विपरीत कोई कार्य / गतिविधि संचालित नही की गई है।

तदानुसार गुरुद्वारा नानकमता साहिब के साथ संबद्वता के लिये आवेदन किया गया है।

आपका विश्वासपात्र

नाम व हस्ताक्षर

प्रधान /सचिव

अनुलग्नक–स

गुरुद्वारा प्र0 कमेटी नानकमता साहिब के मेंबर के उम्मीदवार के लिये आवश्यक शर्तें

1. वह शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा निर्धारित सिख रहत मर्यादा का पालन करने वाला हो ।
2. वह दिवालिया न हो ।
3. वह भारत की किसी भी अदालत में में किसी अपराधिक मामले में भगोडा घोषित न हो ।
4. वह स्वस्थ दिमाग का होना चाहिये ।
5. वह भारत का नागरिक होना चाहिये ।
6. वह गुरुद्वारा समिति का वेतन भोगी या श्रमिक नही होना चाहिये।
7. उसकी आयु 35 वर्ष से कम नही होनी चाहिये।
8. वह भारत के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अपराध हेतु अपराधी सिद्व न हुआ हो ।
9. चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने के समय या चुनाव के समय वह न्यायिक अभिरक्षा / पुलिस अभिरक्षा में न हो ।
10. उसके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में कोई आरोप तय न हुये हो ।
11. वह एक अंमृतधारी सिख होना चाहिये।
12. वह गुरुमुखी लिपि (पंजाबी भाषा)में लिखना , पढना जानता हो । हिंदी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अतिरिक्त योग्यता मानी जायेगी।
13. गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब व भारत के किसी भी अन्य गुरुद्वारे के साथ हितों को लेकर संघर्ष में शामिल न रहा हो ।
14. वह श्री अकाल तख्त साहिब व किसी अन्य तख्त साहिब या अन्य किसी गुरुद्वारे द्वारा दंडित न किया गया हो ।

अनुलग्नक – द

निर्वाचक / वोटर की योग्यता

1.वह एक केशधारी /अंमृतधारी सिख होना चाहिये।

2.वह स्वस्थ दिमाग का होना चाहिये ।

3. 31.07.2016 तक उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

4. सिख धर्म के मूल सिद्वान्तों के विरुद्व किसी क्रियाकलाप में शामिल न हो ।

अनुलग्नक –य

गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी नानकमता के प्रतिनिधि / सदस्य / पदाधिकारियों के पद हेतु चुनाव लड़ने हेतु आचार संहिता

1. कोई भी उम्मीदवार किसी भी ऐसी कार्यवाही में शामिल नहीं होगा जिससे वर्तमान मतभेदों को बढ़ावा मिले या जो आपसी घृणा उत्पन्न करें अथवा विभिन्न जातियों व समूहों में विवाद उत्पन्न करे।

2. चुनाव में सम्मिलित उम्मीदवार चुनाव प्क्रिया के दौरान किसी भी अन्य उम्मीदवार अथवा व्यक्ति की आलोचना से बचे।

3. किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी गुरूद्वारा परिसर में चुनाव प्रचार व प्रसार नहीं किया जायेगा।

4. गुरूद्वारा डेलीगेट के चुनाव हेतु प्रचार की प्रक्रिया चुनाव से 24 घन्टे पहले बन्द करनी होगी तथा वार्ड/हल्का के प्रतिनिधि का चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बन्द करना होगा।

5. उम्मीदवार अथवा उसके सहयोगी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होगें जैसे कि वोटर को घूस देना, धमकी देना, वोटर की जगह किसी और से वोटिंग करवाना, पोलिंग स्टेशन की 100 मीटर की परिधि में प्रचार व प्रसार करना, पोलिंग स्टेशन से वोटरों को लाना/ले जाना इत्यादि।

6. उम्मीदवार अथवा उसके सहयोगी वोटिंग वाले दिन अथवा 24 या 48 घंटे पूर्व किसी भी वोटर को शराब, धन अथवा किसी भी का प्रलोभन नहीं देगें।

7. उम्मीदवार अथवा उसके सहयोगी, किसी भी वोटर को अनैतिक और असंवैधानिक प्रक्रिया से लुभाने का प्रयास नहीं करेंगे।

8. वार्ड के प्रतिनिधि के चुनाव वाले दिन उम्मीदवार (गुरूद्वारा के डेलीगेट) पुलिस को पुलिस स्टेशन नानकमता को सूचित करेंगे कि चुनाव में कितनी गाड़ियाँ आ रही है और लगभग कितने लोग और सहयोगी आ रहे हैं।

9. उपरोक्त सूचना प्रबन्धक कमेटी के चयनित सदस्य प्रबन्धक समिति के पदाधिकारियों के चुनाव के समय भी देंगे।

10. चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा चुनाव परिणाम घोषित होने पर अग्नेयास्त्र अथवा अन्य शस्त्र न ही लाये जायेगें अथवा न ही प्रदर्शित किये जायेंगे। यदि किसी उम्मीदवार अथवा उसके सहयोगी द्वारा शस्त्र लाये जाते हैं तो वह पुलिस द्वारा जब्त कर लिए जायेगे। धार्मिक प्रयोजन हेतु कृपाण की छूट होगी परन्तु उसका उपयोग किसी अवैध कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

11. उम्मीदवार को चुनाव प्रक्रिया में तैनात पुलिस तथा स्टाफ के साथ सम्पूर्ण सहयोग करना होगा।

12. उम्मीदवार द्वारा कोई भी मीटिंग अथवा जुलूस शान्तिपूर्वक ढ़ंग से निकाला जायेगा जिससे कि आम जनता को कोई परेशानी न हो।

13. कोई भी व्यक्ति जो किसी भी गुरूद्वारा के डैलीगेट (प्रतिनिधि) हेतु चुनाव लड़ रहा है, उसे नोमिनेशन पेपर **अनुलग्नक –1** के रूप में भरना होगा।

14. किसी व्यक्ति के गुरूद्वारा के डैलीगेट अथवा प्रतिनिधि हेतु एकमत चुने जाने पर रिकार्ड रखने हेतु नोमिनेशन प्रपत्र भरना होगा।

15. किसी भी डेलीगेट अथवा वार्ड के प्रतिनिधि तथा आफिस पदाधिकारी पद हेतु गुप्त मतदान द्वारा चुनाव किया जायेगा।

16. मत गणना वाले दिन सम्बद्ध डैलीगेट अथवा प्रबन्ध समिति का चयनित सदस्य कोई एक काउन्टिंग एजेन्ट मनोनीत कर सकता है जो मत गणना के समय उपस्थित रह सकता है।

17. काउन्टिंग एजेन्ट मनोनीत करने हेतु **<u>अनुलग्नक –2</u>** भरना होगा तथा डैलीगेट अथवा चयनित प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा।

18. गुरूद्वारा के डैलीगेट के चुनाव हेतु उसी संबंधित गुरूद्वारा की प्रबन्ध समिति द्वारा एक चुनाव अधिकारी मनोनीत किया जायेगा।

19. चुनाव अधिकारी हेतु चयनित व्यक्ति क्षेत्र का गणमान्य एवं शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए जिसकी सत्यनिष्ठा निर्विवाद हो तथा कोई अपराधिक रिकार्ड न हो।

20. उक्त चुनाव अधिकारी द्वारा डैलीगेट का चुनाव सही ढंग से तथा पारदर्शिता के साथ करवाना होगा। किसी भी प्रकार की कठिनाई हेतु गुरूद्वारा की प्रबन्ध समिति अथवा समिति द्वारा मनोनीत चुनाव अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (M/S) 7064 2001 हरदेव सिंह तथा अन्य बनाम उत्तराखण्ड में नियुक्त चुनाव अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।

21. किसी भी उम्मीदवार (डैलीगेट अथवा प्रबन्ध समिति के सदस्य) के विरूद्ध शिकायत माननीय मानयीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (M/S) ;7064 2001, हरदेव सिंह तथा अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में नियुक्त चुनाव अधिकारी से की जा सकती है।

22. प्रत्येक उम्मीदवार तथा उसके सहयोगी शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे तथा बिना किसी चिढ़ अथवा रूकावट के सम्पूर्ण आजादी के साथ वोटर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने देंगे।

23. उम्मीदवार को अपने कर्मचारियों/स्वयंसेवकों को बैज अथवा परिचय पत्र फोटो सहित उपलब्ध कराने होंगे।

24. डैलीगेट अथवा गुरूद्वारा श्री नानकमता साहिब की प्रबन्ध समिति के चुनाव अथवा आफिस पदाधिकारियों के चुनाव वाले दिन उम्मीदवार अथवा उसके सहयोगियों द्वारा कोई भी खाने की वस्तु यहाँ तक कि लंगर भी परोसा नहीं जायेगा।

25. किसी भी गुरुद्वारा के प्रतिनिधि /डेलीगेट के रुप में चुनाव लडने वाले सभी व्यक्तियों के नामांकन पत्रों की एक प्रति चुनाव अधिकारी के कार्यालय मे पहुंचानी होगी जबकि एक अतिरिक्त प्रति संबंधित गुरुद्वारा में रिकार्ड रुप में अनिवार्य रुप से रखनी होगी ।

26.मतदान निष्पक्ष मतदान केन्द्रों पर हों। मतदान केन्द्र गुरुद्वारे में न हो व मतदान केन्द्र ऐसी जगह हो जहां आसानी से पहुंचा जा सके । मतदान केन्द्र साफ सुथरे व मतदान के लिये उपर्युक्त हों। मतों की गणना एक सुरक्षित जगह पर होनी चाहिये। मतदान एक दिन में सपन्न हो व प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक संपन्न हों। गुरुद्वारा प्रतिनिधि / डेलीगेट के मतदान की तिथि से सभी संबंधितों को समय रहते अवगत कराना आवश्यकीय है।

27.गुरुद्वारा प्रतिनिधि / डैलीगेट के नामांकन के लिये कम से कम दो प्रस्तावक होंगे जो केशधारी या अंमृतधारी सिख होंगे।

28. डेलीगेट से वार्ड / हलके के प्रतिनिधि के नामांकन के लिये कम से कम दो प्रस्तावक होंगे जो अंमृतधारी सिख होंगे।

नामांकन फार्म

1. उम्मीदवार का नामः
2. पिता / पति का नाम :
3. आयु 31.07.2016 तकः

4. पता
;आधार कार्ड / वोटर आई डी की कापी संलग्न करे।

5.फोन नंबर या वैध व स्थाई मोबाईल नंबरः

6.पैन कार्ड नं0 –
पैन कार्ड की फोटो कापी संलग्न करे।

7.ईमेल आई डी यदि कोई हो :

8.आवेदक की घोषणा :–
अ.– वह श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा प्रमाणित व प्रचलित रहत मर्यादा का पालन करता है।
ब –वह दिवालिया नही है।
स–वह किसी भी न्यालय में लंबित किसी भी अपराध में भगोडा नही है।
द– वह स्वस्थ मन का है।
ई – वह भारत का नागरिक है।
क– वह गुरुद्वारा समिति का वेतनभोगी श्रमिक नही है।
ख– वह एक अंमृतधारी सिख है।
ग– वह गुरुमुखी भाषा का अच्छा ज्ञान रखता है व पंजाबी लिखना–पढना जानता है।

9. क्या आवेदक भारत के किसी सक्षम न्यायालय में आपाराधिक कृत्य / नैतिक अधमता का दोषी पाया गया है। (हां /नही)

यदि हां तो मामले में आरोप जो निर्धारित किये गये का संपूर्ण विवरण वाद संख्या सहित।

10.क्या कभी पुलिस अभिरक्षा / न्यायिक अभिरक्षा में रहा है । (हां /नही)

यदि हां तो वाद का संपूर्ण विवरण ।

11. क्या आवेदक के खिलाफ किसी आपराधिक मामले में कोई आरोप तय हुये है। (हां/नही)

यदि हां तो वाद का संपूर्ण विवरण ।

12. क्या आवेदक हिंदी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखता है। (हां /नही)

13. क्या आवेदक गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब व भारत के किसी भी अन्य गुरुद्वारे के साथ हितों को लेकर टकराव रखता है। (हां /नही)

14. क्या आवेदक अपने किसी कृत्य के लिये श्री अकाल तख्त साहिब व किसी अन्य तख्त साहिब द्वारा दंडित किया गया है ।(हां /नही)

मैं घोषणा करता हू कि उक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य व सही है व कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है।

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

प्रस्तावकों के नाम ,पता व हस्ताक्षर

1.

2.

अनुलग्नक –2

मतगणना एजेंट की नियुक्ति

सेवा में

श्रीमान निर्वाचन अधिकारी

चुनाव , गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमता साहिब ।

मै .... के चुनाव में उम्मीदवार हूं । मेरे द्वारा मतों की गिनती के लिये एजेंट के रुप में निम्नलिखित व्यक्ति को नियुक्त किया गया है।

मतगणना एजेंट का नाम व पता ;

आधार कार्ड / वोटर आई डी/ पैनकार्ड का नं0 व कापी संलग्न करे।

1–

उम्मीदवार का नाम व हस्ताक्षर

मै श्री .... के मतगणना एजेंट के रुप में कार्य करने हेतु सहमत हूं।

मतगणना एजेंट का हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक............................

मतगणना एजेंट की घोषणा

मैं घोषणा करता हू कि मै मतगणना हेतु निर्धारित गोपनीयता ;(कानून द्वारा निर्धारित) बनाये रखूंगा व गोपनीयता को तोडने वाली कोई भी जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ सांझाा नही करुंगा ।

मतगणना एजेंट का हस्ताक्षर

स्थान ....

दिनांक............................